कार्यालय नगर परिषद, किशनगंज

भवन की परमिट के अनुमोदन का फॉरम- VIII-क

आपके आवेदन संख्या 41/22-23 तिथि 22.6.22 के संदर्भ में श्री/श्रीमती Daftari Doveloper Pvt. Ltd., Director Raj Kran Daftari & Sunil Kr. Daftari, Address. Bhagat Toli Road, Kishanganj. लिए

(क) Block **A-B+G+6TH** Floor Commercial Cum Residential भवन के निर्माण

Block **B-G+6TH** Floor Residential
Block **C- G+7TH** Floor Residential

किशनगंज नगर परिषद बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम,2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सी0एस0 खाता नं0- 08, 24, 40 प्लॉट नं0- 362, 361, 360, एम0एस0 खाता नं0- खाता नं0- 24, 03 (एम0एस0पी0) 187, 188, 189, 197, 199 एवं 198 होल्डिंग नं0- 156(8) गॉव- Deenajpur Road मोहल्ला- दिनाजपुर रोड, वार्ड नं0- 10 (21) के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/निर्वधनों अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से जिस प्रयोजन के लिए किया जायेगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 4253.68 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जायेगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 85' Ft चौड़ाई अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्यक हों।
6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम,2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/नगर परिषद क्षेत्र के अधीनस्थ नगर परिषद, किशनगंज आयोजना क्षेत्र में आवश्यकता मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारिख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जायेगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
10. केवल एक तल घर/तल कक्ष निर्माण का अनुमति होगा, जिसका उपयोग बिहार भवन उप विधि,2014 के निर्देशानुसार किया जायेंगा।
11. अनुमोदित नक्शा से विचलन कर भवन निर्माण करने पर नगरपालिका अधिनियम की धारा-315 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
12. परिसर से जल-मल निकासी एवं साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
13. अनुमोदित नक्शा पर नगर परिषद/सरकार द्वारा निर्धारित सभी कर दैय होगा।
14. अनुमोदित नक्शा का निर्माण बिहार भवन उप विधि,2014 के अनुसार ही Far एवं राष्ट्रीय भवन संहिता,2005 के अनुबंधो और बी0आई0एस0 के मानको व नियमों के अनुरूप होगा।
15. भवन के निर्माण लागत का 1% राशि "उपकर" के रूप में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना को देय होगा। इस हेतु श्रम अधीक्षक, किशनगंज से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित "उपकर" की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

-ह०-
कार्यपालक पदाधिकारी
Executive Officer
Municipal Council, Kishanganj

ज्ञापांक- 41, दिनांक- 13.7.22

प्रतिलिपि:- अनुमोदित योजनाओं की 02 प्रतियों के साथ श्री/श्रीमती Daftari Doveloper Pvt. Ltd., Director Raj Kran Daftari & Sunil Kr. Daftari, Address. Bhagat Toli Road, Kishanganj. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्रम अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
Executive Officer
नगर परिषद, किशनगंज
Municipal Council, Kishanganj
13.7.22